Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा – 10

समकालीन भारत – 2

अध्याय - 2

वन एवं वन्य जीव संसाधन

LET'S LEARN TOGETHER

भाग – 1

पंकज वैष्णव

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

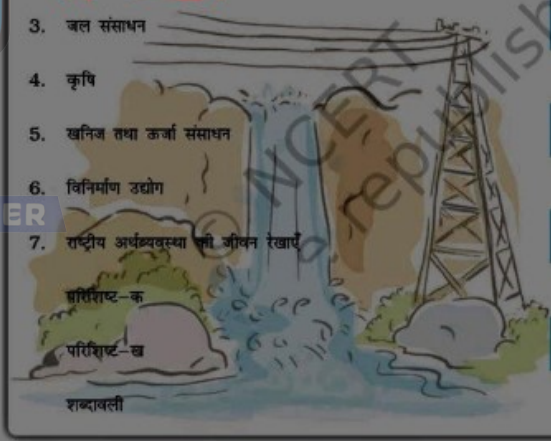
सामाजिक विज्ञान

समकालीन भारत -2

कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक

विषय-सूची

	आमुख	iii
	पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
1.	संसाधन एवं विकास	1
2.	वन एवं वन्य जीव संसाधन	13
3.	जल संसाधन	19
4.	कृषि	30
5.	खनिज तथा ऊर्जा संसाधन	42
6.	विनिर्माण उद्योग	58
7.	राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ	72
	परिशिष्ट–क	86
	परिशिष्ट–ख	87
	शब्दावली	88



© NCERT not to be republished

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, पौधे से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं।

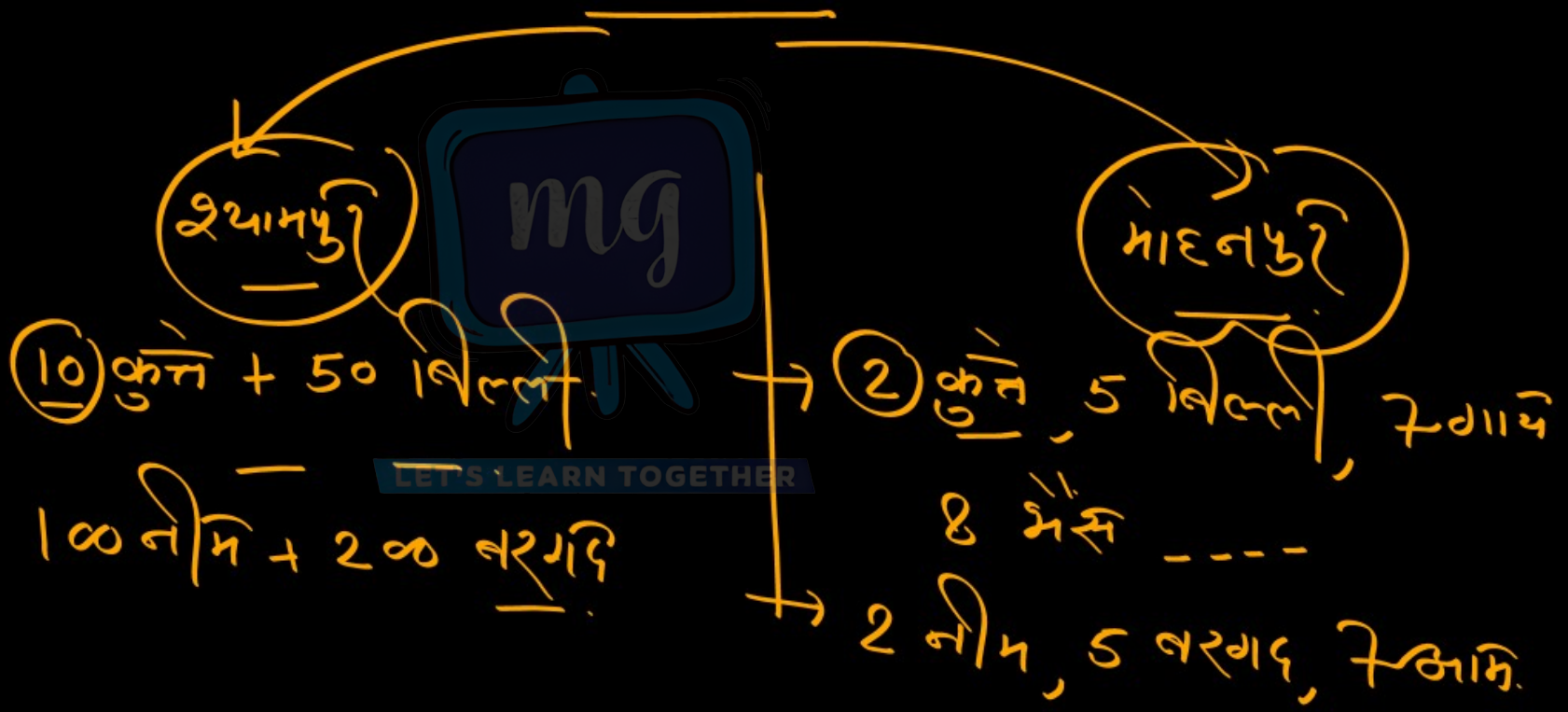
यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव-विविधताओं से भरा हुआ है।

मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्त्वों पर निर्भर करते हैं।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

જૈન-વિવિધતા



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

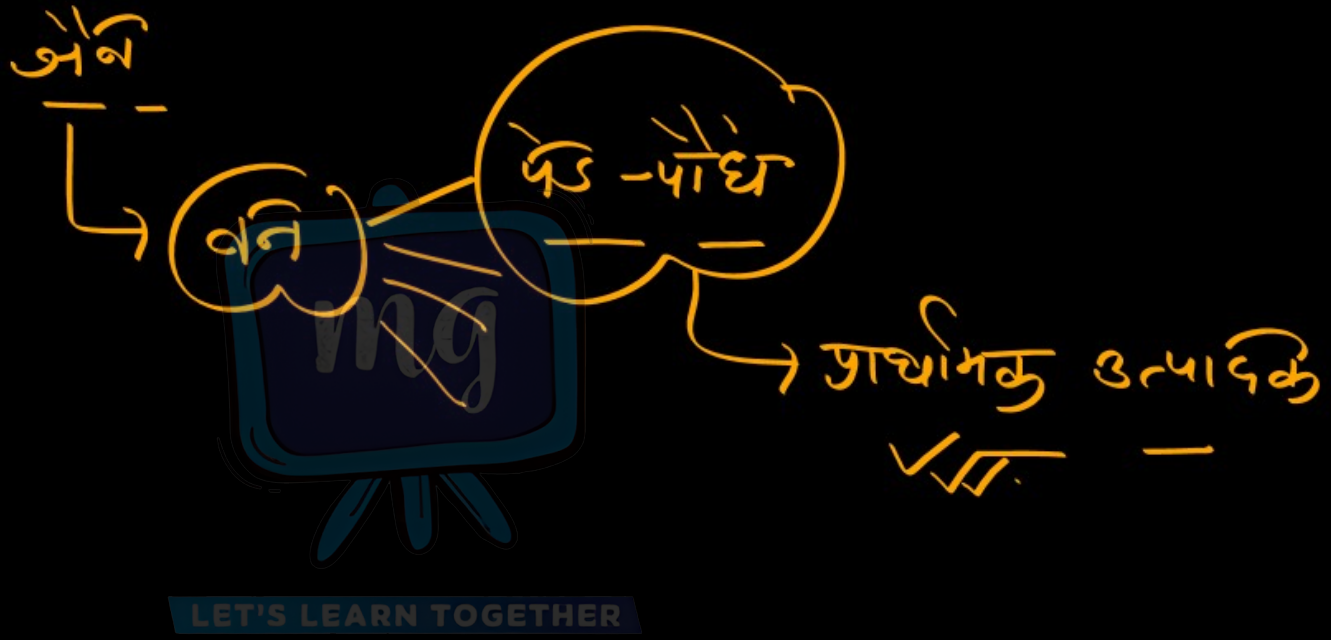
वायु जिसमें हम साँस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है,
जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते;

पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं।

वन, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



LET'S LEARN TOGETHER

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

भारत में वनस्पतिजात और प्राणिजात



भारत, जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है।

यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या (लगभग 16 लाख) पाई जाती है।

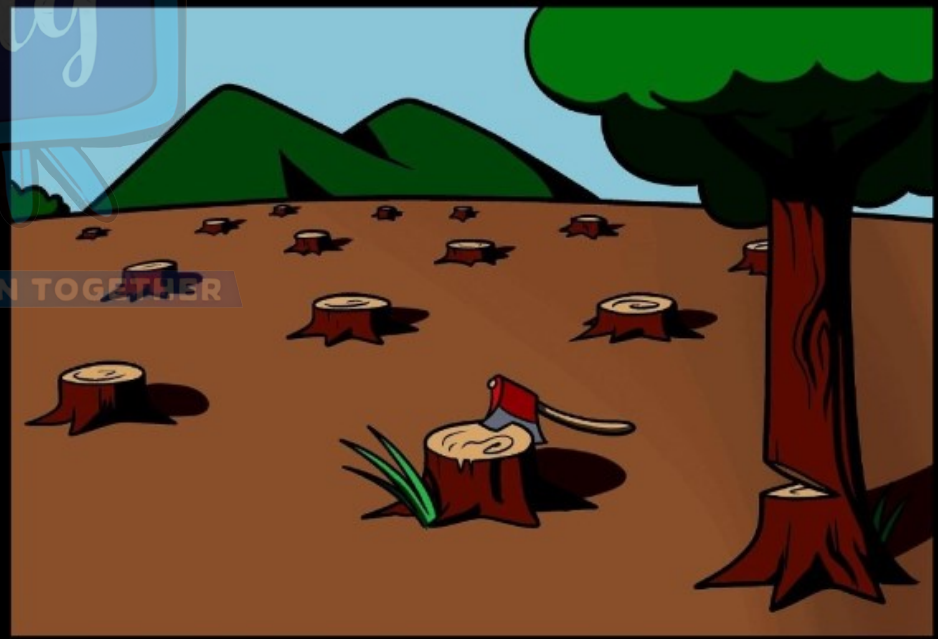
ये विविध वनस्पतिजात और प्राणिजात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुँथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दवाब बढ़ा है।



LET'S LEARN TOGETHER

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण

वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है।

वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है?

- पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है

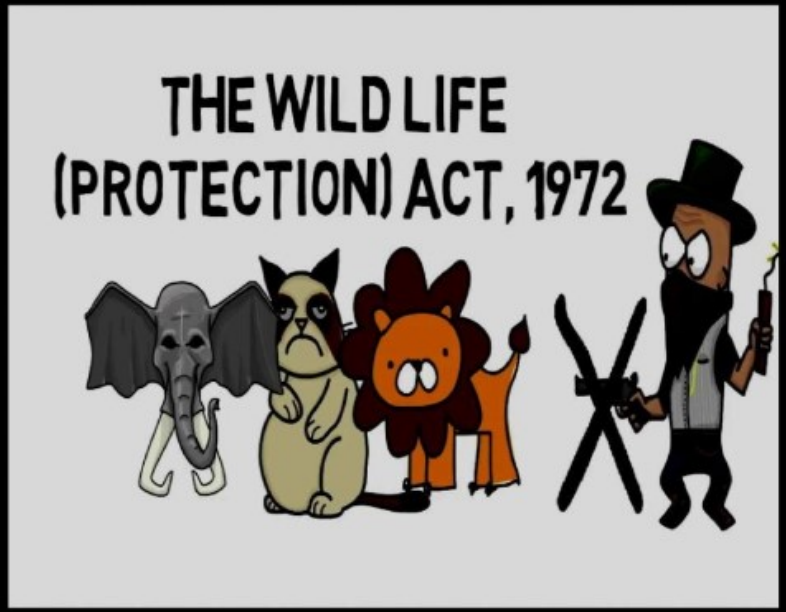
LET'S LEARN TOGETHER

- हमारे जीवन-साध्य संसाधन (जल, वायु और मृदा) बने रहते हैं।
- विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जींस (Genetic) विविधता को भी संरक्षित करती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



- 1960 और 1970 के दशकों के दौरान, पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्यजीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर माँग की।
- 1972 में भारतीय वन्यजीवन (रक्षण) अधिनियम लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे।
- सम्पूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

इस कार्यक्रम के तहत निम्न पर जोर दिया गया है:-

- बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव
- शिकार प्रतिबंधन
- वन्यजीव-आवासों का कानूनी रक्षण
- जंगली जीवों के व्यापार पर रोक

LET'S LEARN TOGETHER

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन





तत्पश्चात् केंद्र-सरकार व कई राज्य-सरकारों ने **राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य** (Sanctuary) स्थापित किए।

केंद्र-सरकार ने कई **परियोजनाओं** की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य-प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था।

LET'S LEARN TOGETHER

बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण (हंगुल), मगरमच्छ (स्वच्छ-जल मगरमच्छ, लवणीय-जल मगरमच्छ और घड़ियाल), एशियाई शेर आदि

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

1972



- वन्य-जीव अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना 1980 और 1986 के तहत् सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और एक ड्रैगनफ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है।

- 1991 में पौधों की 6 जातियाँ भी पहली बार इस सूची में रखी गई।







Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



इसके अतिरिक्त, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन (Bustard) और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है।





Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

बाघ परियोजना

बाघ - राष्ट्रीय पशु

वन्यजीवन संरचना में बाघ (Tiger) एक महत्त्वपूर्ण जंगली जाति है।



देश में बाघों की अनुमानित संख्या

20वीं शताब्दी के आरंभ में ----- 55,000

1973 में ----- 1,827

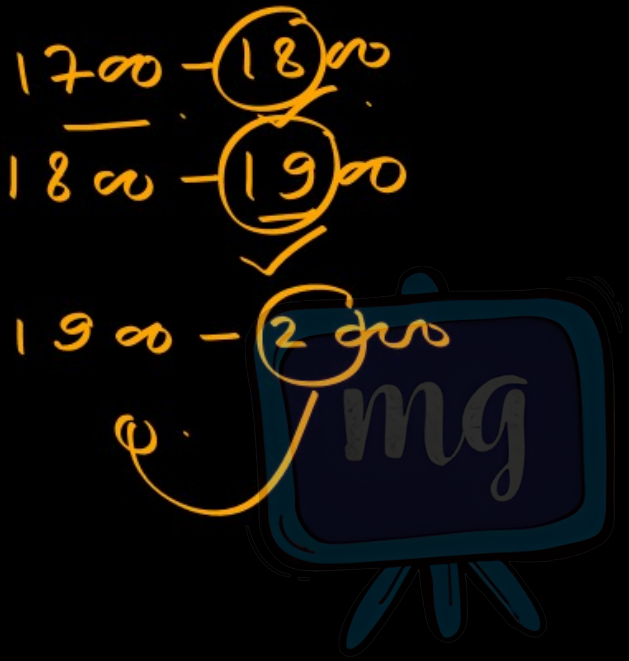
LET'S LEARN TOGETHER

बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण:-

- बाघों को अवैध शिकार/व्यापार (खाल, हड्डियों का औषधियों में प्रयोग);
- आवासीय स्थलों का सिकुड़ना; जनसंख्या-वृद्धि
- भोजन के लिए आवश्यक जंगली जातियों की संख्या कम होना;

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER





Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



चूँकि भारत और नेपाल दुनिया की दो-तिहाई बाघों का आवास हैं, अतः ये शिकार, चोरी और गैर-कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर हैं।

प्रोजेक्ट टाईगर (Project Tiger)

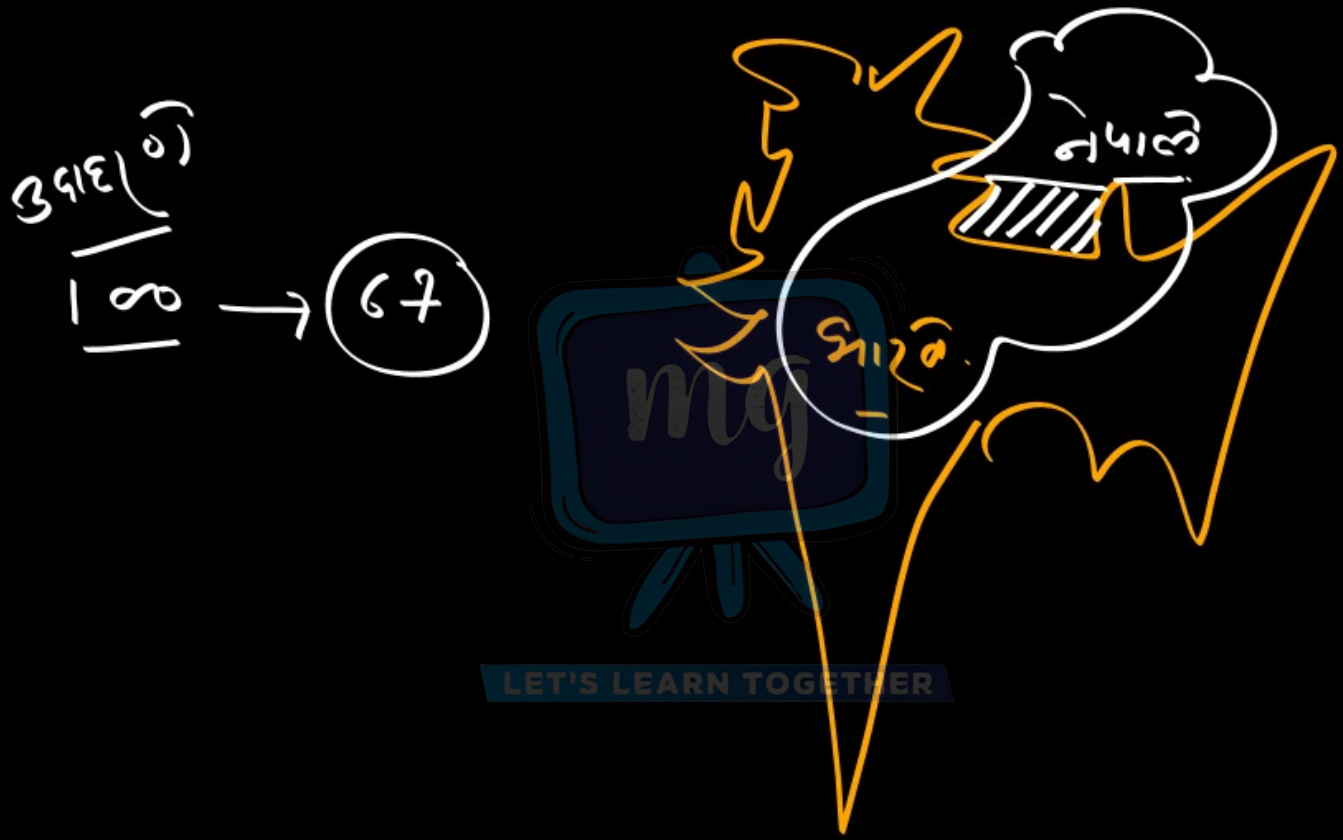
शुरुआत :- 1973 में

विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक

बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैवजाति को भी बचाना है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER



LET'S LEARN TOGETHER

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं

- कॉरबेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखण्ड
- बाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदे
- सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान)
- सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंग
- मानस बाघ रिजर्व (असम)
- पेरियार बाघ रिज़र्व (केरल)

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण

भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिये सरकार के प्रबंधन में हैं।

इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है-

(क) आरक्षित वन (Reserved Forest) :- देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन

33%

(ख) रक्षित वन (Protected Forest):-देश के कुल वन क्षेत्र का एक-तिहाई हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है।

(ग) अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest):- अन्य सभी प्रकार के वन जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं

आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख-रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र :- मध्य प्रदेश में (प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75%)

जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है;

जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

वन एवं वन्य जीव संसाधन



पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं।

LET'S LEARN TOGETHER